न्यायालय- अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अकलेरा (झालावाड़)

पीठासीन अधिकारी :: मुकेश कुमार सोनी,
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका सं. :: 16/2024

CIS No. :: 16/2024

01. सुभान खाँ पुत्र ख्वाजू हुसैन, निवासी घोसियों की मस्जिद के पास गुमानपुरा कोटा, थाना गुमानपुरा, जिला कोटा (राज.)
02. नसीम पत्नी सुभान खाँ, निवासी घोसियों की मस्जिद के पास गुमानपुरा कोटा, थाना गुमानपुरा, जिला कोटा (राज.)

-पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

01- यशवंत गोयल पुत्र मोहनलाल निवासी भोपाल रोड़ अकलेरा, पुलिस थाना अकलेरा जिला झालावाड़ (राज.)
02- राजस्थान सरकार जरिए लोक अभियोजक अकलेरा

-प्रत्यर्थी

दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका धारा 397 दप्रसं/धारा 438 भा.ना.सु.संहिता
विरूद्ध आदेश दिनांक 17.02.2024 विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 178/2023, एफ आर सं. 321/2023 पुलिस थाना भालता, अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 120बी भादसं.

उपस्थित:
1 श्री भागचन्द मीणा, विद्वान अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता की ओर से।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
3. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

आदेश **दिनांक 17.04.2026**

1 यह दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका प्रार्थीगण पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 17.02.2024 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। जिस आदेश द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी/परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटीशन को स्वीकार कर पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 420, 406, 120बी भादसं. में प्रसंज्ञान लिया गया है। इस आदेश में पुनरीक्षणकर्ता/

अभियुक्तगण को 'अभियुक्तगण' एवं प्रत्यर्थी/परिवादी को 'परिवादी' सम्बोधित किया जा रहा है।

2 पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण को दिनांक 21.05.2024 को पुलिस थाना से मौखिक सूचना देने पर आक्षेपित आदेश का ज्ञान हुआ है और जानकारी होने के पश्चात विहित अवधि में यह याचिका पेश की गई है, इसलिए विलम्ब को क्षमा किया जाए। सुना गया। आक्षेपित आदेश दिनांक 17.02.2024 के विरूद्ध यह याचिका दिनांक 26.06.2024 को प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की ओर से आक्षेपित आदेश की जानकारी दिनांक 21.05.2024 को होने का कथन करते हुए अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब क्षमा किया जाता है।

3 बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता का निवेदन है कि पेट्रोल पम्प बाबत लिखे इकरारनामा में परिवादी पक्षकार या गवाह नहीं है और इससे परिवादी का कोई सम्बन्ध नहीं था। परिवादी की पत्नी द्वारा पुनरीक्षकर्ता सं. 1 सुभान खाँ से 11 लाख रूपये नकद लिये थे। उसके द्वारा दो चैक नं. 056358 व 056361 आईसीआईसीआई बैंक शाखा झालावाड़ के दिये गये थे। जिनका भुगतान नहीं होने पर अभियुक्त द्वारा परिवादी की पत्नी अनिता गोयल के विरूद्ध धारा 138 एन.आई. एक्ट का कोटा स्थित न्यायालय में मुकदमा पेश करने पर परिवादी ने अवैध दबाव बनाने के लिए यह झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप पुलिस ने प्रथम दृष्टया झूठे माने हैं। वर्ष 2015 में हुए लेनदेन के रूपये हड़पने की नीयत से यह झूठा प्रकरण वर्ष 2023 में दर्ज करवाया गया है। यदि वास्तव में प्रत्यर्थी के साथ कोई धोखाधड़ी हुई होती तो तुरन्त ही रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती। विचारण न्यायालय ने प्रकरण के महत्वपूर्ण तथ्यो को नजर अंदाज कर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेने का आदेश दिया है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाए।

4 विद्वान अपर लोक अभियोजक ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए पुनरीक्षण याचिका खारिज करने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी/परिवादी यशवंत बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित है।

5 सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया। इस पुनरीक्षण याचिका के विनिश्चय के लिए न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश अनियमित, अविधिपूर्ण या अधिकारिताविहीन है?

6 प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.07.2023 को परिवादी यशवन्त द्वारा न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अकलेरा के समक्ष

एक इस्तगासा इस आशय का पेश किया कि परिवादी की पत्नी अनीता गोयल के नाम पर एक पेट्रोल पम्प इण्डियन कम्पनी गोयल फिलिंग स्टेशन बांसखेड़ी लोढान थाना भालता में स्थित है। दिनांक 04.08.2015 को अभियुक्त सुभान खां ने उक्त पेट्रोल पम्प में साझेदारी कर संचालन करने का इकरारनामा किया था और उस समय दो चैक भी लिये थे। इकरारनामा यह निष्पादित करवाया था कि पेट्रोल पम्प के संबंध में लाभ हानि के समस्त खर्चे का दोनों पक्षकार आधा-आधा वहन करेंगे। उक्त पेट्रोल पम्प का संचायल दिनांक 05.08.2015 से किया था। अभियुक्त ने उसको विश्वास में लेकर बेईमानीपूर्वक धोखाधड़ी करने की नीयत से अपनी पत्नी नसीम से मिलकर धीरे-धीरे नसीम के खाता सं. 61202736253 एसबीबीजे बैंक शाखा कोटड़ी रोड़ गुमानपुरा कोटा में 2,25,000/- रूपये डलवा दिए तथा 3,63,000/- रूपये नकल पेट्रोल की रोशन में से ले लिये। पेट्रोल पम्प में नुकसान होने लगा तो अभियुक्त पेट्रोल पम्प का संचालन छोड़कर भाग गया। परिवादी द्वारा अभियुक्त से पेट्रोल पम्प का हिसाब करने की कहने पर वह समय लेता रहा और दिनांक 20.04.2023 को अभियुक्त से सम्पर्क करने पर अभियुक्तगण ने रूपये व चैक लौटाने से मना कर दिया। इस प्रकार अभियुक्तगण ने बेईमानीपूर्वक धोखाधड़ी कर पेट्रोल पम्प में नुकसान का कोई हिसाब नहीं किया और उससे 5,87,000/- तथा दो चैक हड़प लिये, इत्यादि। उक्त इस्तगासा को धारा 156 (3) दप्रसं में प्रेषित किये जाने पर पुलिस थाना भालता में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 178/23, अन्तर्गत धारा 420, 406, 120बी भा.द.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया व बाद अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन अदम वकु झूठ प्रस्तुत किया गया। परिवादी द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन इस आशय की पेश की गई कि वह अंतिम प्रतिवेदन से असंतुष्ट है और अपनी साक्ष्य करवाना चाहता है। न्यायालय द्वारा उक्त प्रोटेस्ट याचिका के समर्थन में धारा 200 दप्रसं. के तहत परिवादी यशवंत के बयान लेखबद्ध किये गये। दिनांक 17.02.2024 को बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्तगण सुभान खाँ व नसीम के विरूद्ध धारा 420, 406, 120बी भा.द.सं. के अपराध के आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्तगण को जमानती वारण्ट से तलब करने के आदेश दिए गए। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका पेश की गई है।

7 प्रकरण में प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रकट होता है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा विस्तृत अनुसंधान कर यह निष्कर्ष दिया गया है कि 01. फरियादी यशवन्त गोयल पुत्र मोहनलाल गोयल जाति महाजन निवासी अकलेरा थाना अकलेरा की पत्नी अनिता गोयल के द्वारा व तथाकथित आरोपी सुभान खां पुत्र ख्वाजु हुसेन निवासी घोसियों की मस्जिद के पास गुमानपुरा थाना गुमानपुरा जिला कोटा के साझेदारी में इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प एन एच 52 बांसखेड़ी लोढान के संचालन करने के संबंध में इकरारनामा में लिखापढ़ी हुई थी जिसमें तथाकथित आरोपी द्वारा 5 लाख का चैक व 2 लाख रूपये नकद कुल 7 लाख रूपये अनिता गोयल को 7 लाख रूपये देने बताते हैं जबकि लिखापढ़ी में 11 लाख रूपये का लेने देने का

इकरारनामा लिखा हुआ है। दोनों पक्ष्ज्ञों के आपस में मतभेद होने से व तथाकथित आरोपी सुभान खां के लकवा की बीमारी होने से सुभान खा द्वारा अलग-अलग दिनांक तारीख प यशवन्त गोयल से कुल रकम 2,50,000 रूपये तथाकथित आरोपिता के खाता संख्या 61202736253 में डलवाए गए हैं। 02. फरियादी द्वारा तथाकथित आरोपी सुभान खां पिता ख्वाजु खां निासी घोसियों की मस्जिद के पास गुमानपुरा कोटा राज. के कहने पर फरियादी द्वारा स्वेच्छा से सुभान खां की पत्नी नसीम के खाता में 2,50,000 रूपये डाले गए हैं। 03. तथाकथित आरोपी सुभान खां पिता ख्वाजु खां निासी घोसियों की मस्जिद के पास गुमानपुरा कोटा राज. के एडवांस के रूप में फरियादी की पत्नी अनिता गोयल के पास 7 लाख रूपये दे रखे हैं जिसमें से यही तथाकथित आरोपी सुभान खां द्वारा पैसे लेने बताता है।

8 विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का यह आधार है कि "माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो में प्रतिपादित सिद्धांतों एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों के अवलोकन से अप्रार्थीगण सुभान व नसीम द्वारा षड़यंत्र रच कर बेईमानीपूर्वक इकरारनामा दिनांक 04.08.2015 की शर्तों की पालना नहीं कर परिवारी के 5,87,000/- रूपये हड़प कर लेना तथा मांगने पर नहीं लौटा कर आपराधिक न्यास भंग करना प्रथम दृष्ट्या प्रकट होता है।'' और प्रसंज्ञान के स्तर पर प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य की उपलब्धता मानते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।

9 यह न्यायालय इस विधिक स्थिति से सहमत है कि प्रसंज्ञान के स्तर पर प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य पर विचार करना अपेक्षित है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से दर्शित होता है कि परिवादी यशवंत ने प्रथम सूचना रिपोर्ट व अनुसंधान के दौरान बयान धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो अभिकथन किये हैं उसी के समान कथन उसके न्यायालय के समक्ष प्रोटेस्ट पिटिशन के समर्थन में दिये गये बयान में किये गये हैं। आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट है कि इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय परिवादी की एकमात्र साक्ष्य के आधार पर प्रसंज्ञान का आदेश पारित करने से पूर्व अंतिम प्रतिवेदन में संकलित साक्ष्य और अनुसंधान के निष्कर्ष पर कोई विचार नहीं किया गया है।

10 इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जोधपुर द्वारा **Noparam and others v. State of Rajasthan** S.B. Criminal Misc (Pet.) No. 244/2011 (Date 19/11/2024) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि-

> 3. It is neigh well settled principal of law that whenever a Magistrate takes cognizance of the offence on a protest petition, he is required to show his disagreement with the police report. A definite opinion has to be made or at least the grounds of final report should be considered before proceeding further in the matter. Evidently, the above task has not been undertaken.

11 विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका की प्रतियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 19.01.2024 को परिवादी यशवंत के बयान

लेखबद्ध करने के पश्चात् न्यायालय द्वारा पत्रावली को परिवादी की शेष साक्ष्य के लिए नियत किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 17.02.2024 को अधिवक्ता परिवादी द्वारा साक्ष्य पेश करने से इंकार करने पर साक्ष्य बंद करते हुए बहस प्रसंज्ञान सुन कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण में धारा 200 दप्रसं के अंतर्गत परिवादी यशवंत के सशपथ बयान लेने के पश्चात् मामले को धारा 202 दप्रसं के अधीन जाँच करने के लिए साक्ष्य में नियत किया है और फिर बिना कोई कारण दर्शित किये जाँच की प्रक्रिया को अपनाये बिना प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्तगण के विरूद्ध आदेशिका जारी की गई है। इस सम्बन्ध में धारा 202 दप्रसं सुसंगत है जो इस प्रकार है-

202. Postponement of issue of process.

(1) Any Magistrate, on receipt of a complaint of an offence of which he is authorised to take cognizance or which has been made over to him under section 192 may, if he thinks fit, **and shall, in a case where the accused is residing at a place beyond the area in which he exercises his jurisdiction** postpone the issue of process against the accused, and either inquire into the case himself or direct an investigation to be made by a police officer or by such other person as he thinks fit, for the purpose of deciding whether or not there is sufficient ground for proceeding :

Provided that no such direction for investigation shall be made, -

(a)where it appears to the Magistrate that the offence complained of is triable exclusively by the Court of Session; or

(b)where the complaint has not been made by a Court, unless the complainant and the witnesses present (if any) have been examined on oath under section 200.

(2) In an inquiry under sub-section (1), the Magistrate may, if he thinks fit, take evidence of witnesses on oath ....

12 निर्विवादित रूप से हस्तगत प्रकरण के अभियुक्तगण कोटा के निवासी है। अभियुक्तगण न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से परे निवास करने के कारण उनके विरूद्ध आदेशिका जारी करने से पूर्व विद्वान विचारण न्यायालय के लिये आवश्यक था कि धारा 202 के अंतर्गत जाँच की जाती, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने इस आज्ञापक उपबंध की पालना नहीं करने का कोई आधार अपने आदेश में नहीं दर्शाया है।

13 प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि परिवादी ने जिस इकरारनामा की शर्तों के उल्लंघन के आरोप लगाये हैं और विद्वान विचारण न्यायालय ने इन शर्तों के उल्लघंन के आधार पर प्रसंज्ञान आदेश पारित किया है, उस इकरारनामा में स्वयं परिवादी यशवंत पक्षकार नहीं है। परिवादी ने अपनी पत्नी अनिता को पैट्रोल पम्प की

संचालक होना व उसकी पत्नी के साथ इकरारनामा किया जाना बताया गया है, जबकि उसे विचारण न्यायालय के समक्ष जाँच में पेश नहीं किया है, ना ही विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त साक्षी को परीक्षित करने के सम्बन्ध में कोई आदेश दिया गया है।

14 इस प्रकार प्रकरण के समस्त तथ्यों-परिस्थितियों तथा विधिक स्थिति पर विचार किये जाने पर यह पाया जाता है कि आक्षेपित आदेश तथ्य व विधि के अनुकूल नहीं होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

-आदेश-

15 परिणामतः पुनरीक्षणकर्ता **सुभान खां** पुत्र ख्वाजू हुसैन, निवासी घोसियों की मस्जिद के पास गुमानपुरा कोटा, थाना गुमानपुरा, जिला कोटा (राज.) व **नसीम** पत्नी सुभान खाँ, निवासी घोसियों की मस्जिद के पास गुमानपुरा कोटा, थाना गुमानपुरा, जिला कोटा (राज.) की ओर से प्रस्तुत यह दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका **स्वीकार** की जाकर विद्वान न्यायालय- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा जिला- झालावाड़ द्वारा पारित **आक्षेपित आदेश दिनांक 17.02.2024** अपास्त किया जाता है। इस आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा,
जिला- झालावाड़ (राज.)

16 आदेश आज दिनांक 17.04.2026 लिखाया गया व हस्ताक्षरित-मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा,
जिला- झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(अब्दुल वाजिद चिश्ती)
स्टेनो ग्रेड प्रथम

BHAG CHAND MEENA

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.04.18 10:45:59 IST